राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 12010/2020

1. दयाचंद आर्य पुत्र श्री चेतराम आर्य, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी रामलीला ग्राउंड (मंच) के पीछे, धर्माणा बगीची के पास, हनुमान किराना स्टोर के पास, वार्ड नंबर 25, सीकर-अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से

1.1 श्रीमती शीला आर्य पत्नी स्वर्गीय श्री दयाचंद आर्य, उम्र लगभग 60 वर्ष

1.2 नीरज आर्य पुत्र स्वर्गीय दयाचंद आर्य पुत्र श्री चेतराम आर्य, उम्र 33 वर्ष

1.3 पंकज आर्य पुत्र स्वर्गीय दयाचंद आर्य पुत्र श्री चेतराम आर्य, उम्र 32 वर्ष

1.4 अनुज आर्य पुत्र स्वर्गीय दयाचंद आर्य पुत्र श्री चेतराम आर्य, उम्र 27 वर्ष

सभी निवासी, रामलीला मैदान (मंच), धर्माणा बगीची के पास, हनुमान किराना स्टोर के पास, वार्ड नंबर 25, सीकर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सरकार के सचिव-सह-आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।

3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, राजस्थान, जन पथ ज्योति नगर, जयपुर।

4. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर।

5. विशेष लेखा लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, चूरू।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री महेंद्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री प्रदीप कलवानिया, जीसी सुश्री प्रियंका पारीक, एजीसी श्री रोहित चौधरी, डिप्टी जीसी

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

<u>आदेश</u>

17/02/2023

रिपोर्टेबल

"एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को वर्षों तक रोकना न केवल अवैध और मनमाना कार्य है, बल्कि एक पाप भी है, हालांकि कोई अपराध नहीं है क्योंकि किसी भी कानून ने ऐसा घोषित नहीं किया है।

"अधिकारियों द्वारा बनाई गई परिस्थितियों में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके परिवार को जिस दर्द और यातना का सामना करना पड़ा, उसे आसानी से कल्पना और महसूस किया जा सकता है, लेकिन उस तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है जो केवल वे ही जानते हैं जो वास्तव में पीड़ित हैं। इस दर्द और अपमान की भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती"।[1]

यह मामला एक ज्वलंत उदाहरण है जहां याचिकाकर्ता आधे दशक से अधिक समय पहले सेवानिवृत्त हो गया लेकिन उसे पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिला। वर्षों तक क्रूर व्यवस्था के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए, याचिकाकर्ता ने इस याचिका को दायर करके न्याय के मंदिर का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता द्वारा यह याचिका निम्नलिखित प्रार्थना करके दायर की गई है:-

> "i) एक उचित रिट, आदेश या निर्देश के माध्यम से प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता की ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया जाए।
>
> ii) प्रत्यर्थीगण को नियत तिथि से 7वे वेतन आयोग का लाभ देने का निर्देश दिया जाए।
>
> iii) रिट, आदेश या प्रत्यक्ष प्रकृति के निर्देशों द्वारा उत्तरदाता को पेंशन लाभ को मंजूरी दी जाए और 18% प्रतिवर्ष की दर से रिटार्य के साथ बांड का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।
>
> iv) कोई भी अन्य राहत जो इस माननीय न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित लगती है, वह भी याचिकाकर्ता के पक्ष में दी जाए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता सहकारिता विभाग में इंस्पेक्टर ऑडिट के पद पर कार्यरत था और वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद

1 संत लाल वी. मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी एवं अन्य। : 2016 एससीसी ऑनलाइन सभी।

31.01.2018 को सेवानिवृत्त हो गया। अधिवक्ता का कहना है कि पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, प्रत्यर्थीगण ने बिना किसी उचित कारण के याचिकाकर्ता को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति देय जारी नहीं किए हैं। अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विभागीय जांच या आपराधिक मामला लंबित नहीं था। अधिवक्ता का कहना है कि जब लगभग दो साल बीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिया गया, तो याचिकाकर्ता के पास वर्ष 2020 में भारत के संविधान की धारा 226 के अनुच्छेद के तहत इस रिट याचिका को दायर करके अपनी शिकायत के निवारण के लिए इस न्यायालय से संपर्क करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। अधिवक्ता का कहना है कि शक्तिशाली सरकार-प्रत्यर्थीगण के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते हुए, याचिकाकर्ता ने 21.07.2021 को अपनी जान गंवा दी, और उसके बाद मृत याचिकाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर ले लिया गया। अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यर्थी भी मामले को दबाए बैठे हैं और उन्होंने मृतक याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों को उचित सेवानिवृत्ति लाभ जारी नहीं किया है। अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थीगण को बिना किसी और देरी के मृतक याचिकाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों को ब्याज सहित उचित सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने का निर्देश देते हुए उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि मृतक याचिकाकर्ता चूरू के सहकारी विभाग में इंस्पेक्टर ऑडिट के रूप में काम कर रहा था और उसके बाद उसे प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था और उसके बाद उसकी सेवाएं पैतृक विभाग के आदेश दिनांक 06.11.2017 द्वारा वापस कर दी गईं। अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त तथ्य के कारण याचिकाकर्ता का अपेक्षित सेवा रिकॉर्ड एकत्र नहीं किया जा सका और याचिकाकर्ता के पेंशन दावे को अंतिम रूप देने में देरी हुई। अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यर्थी कम समय में याचिकाकर्ता को देय सेवानिवृत्ति राशि जारी करने की प्रक्रिया में हैं।

प्रत्यर्थी संख्या 5 के अधिवक्ता का कहना है कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृत याचिकाकर्ता का संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड सहकारिता विभाग को भेज दिया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि भी रु. 9,81,107/- का वेतन बकाया का याचिकाकर्ता को भुगतान कर दिया गया है और शेष आवश्यक कार्यवाही अल्प समय के भीतर पूरी कर ली

जाएगी।

पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

राज्य-प्रत्यर्थीगण के लिए यह काफी आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला है कि वर्ष 2018 में मृतक-याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बावजूद, पांच साल से अधिक समय बीतने के बाद भी प्रत्यर्थीगण को सेवानिवृत्ति बकाया जारी नहीं किया गया है। राज्य-प्रत्यर्थीगण के अधिकारियों ने मृतक याचिकाकर्ता को वर्ष 2020 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया, लेकिन शक्तिशाली राज्य सरकार-प्रत्यर्थीगण के खिलाफ लड़ते हुए अपनी लड़ाई हारकर, मृतक-याचिकाकर्ता ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन प्रत्यर्थीगण ने बहरे की तरह अपने कान बंद रखे। इसके बाद, कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लिया गया।

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ न तो कोई आपराधिक मामला और न ही कोई विभागीय जांच लंबित थी, इसलिए याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति बकाया को रोकने के लिए राज्य-प्रत्यर्थीगण के पास कोई कारण उपलब्ध नहीं था। राज्य-प्रत्यर्थीगण का ऐसा मनमाना कृत्य उच्चस्तरीय है और इस न्यायालय द्वारा इसकी निंदा की जा सकती है। यह प्रत्यर्थीगण का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता की ओर से किसी अपेक्षित औपचारिकता को पूरा करने में कोई चूक हुई थी। जब याचिकाकर्ता का संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड प्रत्यर्थीगण के कार्यालयों में उपलब्ध था, तो याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति देयों को पांच साल से अधिक समय तक रोकने का कोई कारण नहीं था।

यह एक स्वीकृत स्थिति है कि पेंशन और ग्रेच्युटी इनाम नहीं हैं। एक कर्मचारी ये लाभ अपनी लंबी, निरंतर, वफादार और बेदाग सेवा के माध्यम से अर्जित करता है। **देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य (1971) 2 एससीसी** 330 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में आधिकारिक तौर पर निर्णय सुनाया कि पेंशन एक अधिकार है और इसका भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं है, बल्कि नियमों द्वारा शासित है और उन नियमों के अंतर्गत आने वाला एक सरकारी कर्मचारी दावा करने का पात्र है। पेंशन. आगे यह माना गया कि पेंशन का अनुदान किसी के विवेक पर निर्भर नहीं है। अधिकारी को पेंशन प्राप्त करने का अधिकार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि

प्राधिकारी के किसी आदेश की आवश्यकता होती है, बल्कि वैधानिक नियमों के आधार पर उसे प्राप्त होता है। **पंजाब राज्य बनाम इकबाल सिंह (1976) 2 एससीसी** 1 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस दृष्टिकोण की पुष्टि की गई थी और यह माना गया है कि "इस प्रकार यह एक कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ है जो एक कर्मचारी को मिलता है और "संपत्ति" की प्रकृति में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए के प्रावधानों के अनुसार उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना संपत्ति के इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता है।.

देवकीनंदन प्रसाद (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को संपत्ति के अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी और यह पैराग्राफ संख्या 27 से 33 में निम्नलिखित चर्चा से स्पष्ट है जो इस प्रकार है:

> "27. विचारणीय अंतिम प्रश्न यह है कि क्या सरकारी कर्मचारी द्वारा पेंशन प्राप्त करने का अधिकार संपत्ति है, ताकि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) और 31(1) को लागू किया जा सके। यह प्रश्न इस बात पर विचार करने के लिए तय किया जाना है कि क्या रिट याचिका अनुच्छेद 32 के तहत विचारणीय है। इस पहलू पर, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और अब हम उसी पर विचार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
>
> 28. याचिकाकर्ता के अनुसार पेंशन प्राप्त करने का अधिकार संपत्ति है और प्रत्यर्थीगण ने 12-6-1968 के एक कार्यकारी आदेश द्वारा गलत तरीके से उसकी पेंशन रोक दी है। वह आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) और 31(1) के तहत उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। प्रत्यर्थीगण, जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है, याचिकाकर्ता के पेंशन पाने के अधिकार पर विवाद नहीं करते हैं, बल्कि 5-8-1966 को पारित आदेश के लिए विवाद करते हैं। प्रति-शपथपत्र में केवल एक स्पष्ट कथन है कि किसी भी मौलिक अधिकार का कोई प्रश्न विचार के लिए नहीं उठता है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री झा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पेंशन प्राप्त करने का अधिकार किसी भी परिस्थिति में संपत्ति नहीं माना जा सकता है। उनके मुताबिक इस मामले में राज्य की ओर से पेंशन देने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। हमने विद्वान अधिवक्ता से यह आग्रह करना समझा कि यदि राज्य ने पेंशन देने का आदेश पारित किया है और बाद में उस आदेश से पलट जाता है, तो बाद के आदेश को संपत्ति के संबंध में याचिकाकर्ता के अधिकार को प्रभावित करने वाला माना जा सकता है ताकि अनुच्छेद 19(1)(च) को आकर्षित किया जा सके।
>
> 29. हम प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। पेंशन नियमों में भौतिक प्रावधानों के संदर्भ में, हमने पहले ही संकेत दिया है कि पेंशन का अनुदान अधिकारियों द्वारा इस आशय के आदेश पारित करने पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा हो सकता है

कि सेवा की अवधि और अन्य संबद्ध मामलों को ध्यान में रखते हुए राशि की मात्रा निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए, अधिकारियों के लिए उस आशय का आदेश पारित करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन पेंशन प्राप्त करने का अधिकार किसी अधिकारी को नहीं मिलता है। उक्त आदेश के अनुसार लेकिन नियमों के आधार पर। नियम, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, उसमें उल्लिखित परिस्थितियों के तहत याचिकाकर्ता जैसे व्यक्तियों के पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता देते हैं।

30. यह प्रश्न कि क्या किसी लोक सेवक को दी गई पेंशन धारा 31(1) के तहत संपत्ति है, भगवंत सिंह बनाम भारत संघ एआईआर 1962 पुंज 503 मामले में पंजाब उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। यह माना गया था कि ऐसा अधिकार 'संपत्ति' का गठन करता है और कोई भी हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 31(1) का उल्लंघन होगा। आगे यह माना गया कि राज्य किसी कार्यकारी आदेश द्वारा लोक सेवक के पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को पूरी तरह से कम या समाप्त नहीं कर सकता है। यह निर्णय विद्वान एकलपीठ द्वारा दिया गया। यह निर्णय भारत संघ द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील में लिया गया था। लेटर्स पेटेंट बेंच ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भगवंत सिंह आईएलआर (1965) 2 पुंज में अपने निर्णय में रिपोर्ट करते हुए विद्वान एकलपीठ के निर्णय को मंजूरी दी। लेटर्स पेटेंट बेंच ने माना कि एक लोक सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति पर दी गई पेंशन संविधान के अनुच्छेद 31 (1) के अर्थ में 'संपत्ति' है और उसे केवल कानून के प्राधिकारी द्वारा ही इससे वंचित किया जा सकता है और वह पेंशन नहीं है इसे अस्वीकार करने या रद्द करने मात्र से संपत्ति नहीं रह जाती। आगे यह माना गया कि 'संपत्ति' के रूप में पेंशन का चरित्र संभवतः किसी विशेष व्यक्ति या प्राधिकारी की इच्छा पर इस तरह के परिवर्तन से नहीं गुजर सकता है।

31. के.आर. एरी बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1967 पुंज 279 में प्रकाशित मामला फिर से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष आया। उच्च न्यायालय को एक अधिकारी के पेंशन पाने के अधिकार की प्रकृति पर विचार करना था। बहुमत ने उसी उच्च न्यायालय के दो पूर्व निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को मंजूरी के साथ उद्धृत किया, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, और माना गया कि पेंशन को सरकार की इच्छा और खुशी पर देय इनाम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और यह कि सेवानिवृत्ति पेंशन का अधिकार, उसकी राशि सहित, एक सरकारी कर्मचारी के पास निहित एक मूल्यवान अधिकार है। बहुमत द्वारा आगे यह माना गया कि भले ही अधिकारी को उसकी ओर से चूक या कदाचार के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ कारण बताने के लिए पहले से ही एक अवसर दिया गया था और उसे दोषी पाया गया है, फिर भी, जब कटौती की जाती है यदि किसी अधिकारी के खिलाफ पहले से ही साबित कदाचार के आधार पर उसे देय पेंशन की मात्रा पर जुर्माना लगाने की मांग की जाती है, तो उस संबंध में कारण बताने का एक और अवसर अधिकारी को दिया जाना चाहिए। आगे अवसर देने के संबंध में यह

विचार विद्वान न्यायाधीशों द्वारा प्रासंगिक पंजाब सिविल सेवा नियमों के आधार पर व्यक्त किया गया था। लेकिन, विद्वान मुख्य न्यायाधीश अपने असहमतिपूर्ण निर्णय में बहुमत से सहमत होने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसी परिस्थितियों में जब राज्य द्वारा देय पेंशन की राशि में कटौती की जाती है तो एक अधिकारी को एक और अवसर दिया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में हमारे लिए इस प्रश्न पर विचार करना जरूरी नहीं है कि क्या पहले से की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार पर पेंशन को कम करने या अस्वीकार करने की कार्रवाई करने से पहले, किसी अधिकारी को कारण बताने के लिए एक और नोटिस दिया जाना चाहिए। हमारे सामने वह प्रश्न विचारार्थ नहीं उठता। न ही हम किसी अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद पहली बार पेंशन कम करने या रोकने से पहले अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, यदि कोई हो, के संबंध में आगे के प्रश्न से चिंतित हैं। इसलिए हम इस पहलू पर पंजाब उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में बहुमत और अल्पसंख्यक न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन हम बहुमत के विचार से सहमत हैं जब उसने अपने पहले के निर्णय को मंजूरी दे दी है कि पेंशन सरकार की इच्छा और खुशी पर देय इनाम नहीं है और दूसरी ओर, एक सरकारी कर्मचारी का पेंशन का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है।

32. मध्य प्रदेश राज्य बनाम राणोजीराव शिंदे एआईआर 1968 एससी 1053 मामले में इस न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना था कि क्या 'नकद अनुदान' अनुच्छेद 19(1)(च) और संविधान की धारा 31(1) में उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर 'संपत्ति' है। इस न्यायालय ने माना कि यह संपत्ति थी, यह देखते हुए कि 'यह स्पष्ट है कि धन की एक सीमित राशि ही संपत्ति है'।

33. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता का पेंशन प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 31 (1) के तहत संपत्ति है और केवल कार्यकारी आदेश द्वारा राज्य के पास इसे रोकने की कोई शक्ति नहीं है। इसी प्रकार, उक्त दावा भी अनुच्छेद 19(1)(च) के तहत संपत्ति है और यह अनुच्छेद 19 के उप-अनुच्छेद (5) द्वारा संरक्षित नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता को अस्वीकार करते हुए दिनांक 12-6-1968 के आदेश का पालन किया जाता है। पेंशन प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) और 31(1) के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, और इस प्रकार अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्य है। ऐसा हो सकता है कि पेंशन अधिनियम (1871 का अधिनियम 23) के तहत सिविल कोर्ट द्वारा उसमें उल्लिखित मामलों से संबंधित किसी भी मुकदमे पर विचार करने पर रोक हो। यह कानून के अनुसार पेंशन के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर उचित रूप से विचार करने के लिए राज्य को जारी किए जाने वाले परमादेश रिट के रास्ते में नहीं आता है।"

इसी तरह **झारखंड राज्य और अन्य बनाम जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य**

(2013) 12 **एससीसी** 210 में प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-क में निहित एक संवैधानिक आदेश है। इसे पैराग्राफ संख्या 16 और 17 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

> "16. तथ्य यह है कि कानूनी सिद्धांत में यह शर्त है कि पेंशन प्राप्त करने का अधिकार "संपत्ति" में अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 क इस प्रकार है:
>
> "**300-क व्यक्तियों को कानून के अधिकार के अलावा संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।** कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
>
> एक बार जब हम उस आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो इस निर्णय की शुरुआत में हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट हो जाता है। किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना इस पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 300 क में निहित संवैधानिक आदेश है। इससे यह पता चलता है कि बिना किसी वैधानिक प्रावधान के और प्रशासनिक निर्देश के तहत पेंशन या ग्रेच्युटी का एक हिस्सा या यहां तक कि छुट्टी नकदीकरण का एक हिस्सा छीनने के अपीलकर्ता के प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
>
> 17. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यकारी निर्देशों में वैधानिक चरित्र नहीं है और इसलिए, उपरोक्त अनुच्छेद 300 के अर्थ में "कानून" नहीं कहा जा सकता है-
>
> क. ऐसे परिपत्र के आधार पर, जिसमें कानून की शक्ति नहीं है, अपीलकर्ता पेंशन या ग्रेच्युटी का एक हिस्सा भी नहीं रोक सकता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, जहां तक वैधानिक नियमों का प्रश्न है, दी गई स्थिति में पेंशन या ग्रेच्युटी रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर इन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान होता तो स्थिति अलग होती.'

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 (संक्षेप में '1996 के नियम') का अध्याय-VI पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि के निर्धारण और प्राधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है। 1996 के नियमों का नियम 78 सेवानिवृत्ति के कारण सरकारी सेवकों की सूची तैयार करने के प्रावधानों से संबंधित है। नियम 80 पेंशन कागजात की तैयारी से संबंधित है और नियम 81 और 82 पेंशन कागजात के चरणों और पूरा होने से संबंधित हैं। इसी प्रकार नियम 83, 84 और 85 पेंशन विभाग द्वारा पेंशन पत्रों से निपटने और पेंशन जारी करने की प्रक्रिया से संबंधित हैं और यदि कोई देरी होती है, तो पेंशनभोगी पेंशन के विलंबित भुगतान और 1996 के नियमों के नियम 89 के तहत ग्रेच्युटी पर 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पाने का पात्र है।

कानून सुस्थापित है कि सरकारी कर्मचारी पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन और अन्य लाभों का पात्र हो जाता है। राज्य 1996 के वैधानिक नियमों के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी को उचित समय पर पेंशन और अन्य लाभों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। उचित समय क्या है यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा लेकिन आम तौर पर यह सेवानिवृत्ति की तारीख से दो महीने से अधिक नहीं होगा और यह समय सीमा भी **केरल राज्य बनाम एम. पद्मनाभन नायर एआईआर 1985 एससी 356** में प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई है। यदि राज्य सेवानिवृत्ति बकाया के भुगतान में कोई चूक करता है, तो सेवानिवृत्त व्यक्ति विलंबित देय भुगतान पर ब्याज पाने का पात्र है।

ऐसी स्थिति पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, **संत लाल वी. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी और अन्य एससीसी ऑनलाइन ऑल 2916** में प्रकाशित मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने में माना गया कि पेंशन और सामान्य भविष्य निधि ("जीपीएफ") की राशि स्पष्ट रूप से वह पैसा है जो एक कर्मचारी का है और यदि किसी व्यक्ति को उसके अर्जित धन का भुगतान काफी लंबे वर्षों तक नहीं किया जाता है, तो इससे अधिक गंभीर और कठोर कुछ नहीं हो सकता है। अधिकारियों के इस तरह के मनमाने कृत्य की खंडपीठ ने निम्नलिखित कड़े शब्दों में निंदा की:

> "यह ऐसा है जैसे आज भूख से मर रहे व्यक्ति को एक या दो महीने बाद भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, तब तक वह भूख से मर सकता है या खाद्य पदार्थ सड़ सकता है। यह असंवैधानिक नहीं तो और क्या हो सकता है।

खंडपीठ ने आगे कहा कि:- हमारी व्यवस्था में, संविधान उच्चतम है, लेकिन वास्तविक शक्ति भारत के लोगों में निहित है। संविधान 'जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का' अधिनियमित किया गया है। किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को एक आम आदमी को परेशान करने वाले तानाशाह की तरह काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और विशेष रूप से तब जब उत्पीड़न का शिकार व्यक्ति उसका अपना कर्मचारी हो।" गंभीर अस्वीकृति व्यक्त करते हुए, न्यायालय ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को कई वर्षों तक रोकना न केवल अवैध है, बल्कि मनमाना भी है। यह नैतिक और सामाजिक रूप से अप्रिय है। यह सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा के भी खिलाफ है जो हमारे संविधान के संस्थापक स्तंभों में से एक

है। न्यायालय ने आलोचनात्मक रूप से कहा कि "नौकरशाहों द्वारा नियंत्रित प्रणाली कुछ ऐसी व्यवस्था करने के लिए झगड़े पैदा कर सकती है जो नीति-निर्माताओं द्वारा नागरिकों के लाभ के लिए तैयार की गई है। वृद्ध और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामाजिक कल्याण के लिए बनाई गई एक लाभकारी योजना को सिस्टम द्वारा विकृत किया जा सकता है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक दुःस्वप्न पैदा किया जा सकता है, जैसा कि स्पष्ट है। हालाँकि लोगों तक पहुँचने की संवैधानिक बाध्यता है, लेकिन कार्यपालिका, स्थिर रहने या धीमी गति से चलने या बिल्कुल भी गति न करने की आदत के कारण, ऐसी योजना को काफी अप्रभावी और निष्क्रिय बना सकती है। ऐसे में सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके परिवार को जो पीड़ा और यातना झेलनी पड़ती है, उसे आसानी से कल्पना और महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसका आकलन उस तरह से नहीं किया जा सकता, जो वास्तव में पीड़ित हैं, वे ही इसे जानते हैं। इस दर्द और अपमान की भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती। विलंबित भुगतान पर ब्याज देने के पहलू पर, न्यायालय ने कहा कि यदि सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान असाधारण देरी से किया जाता है, तो न्यायालय को उचित ब्याज देना चाहिए जो प्रकृति में प्रतिपूरक हो ताकि परेशान कर्मचारी को कुछ सांत्वना मिल सके। किसी भी सरकारी अधिकारी को किसी निराश कर्मचारी का कानूनी बकाया लंबे समय तक रोककर उसे परेशान करने और उसके बाद किसी भी दायित्व से बचने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक प्राधिकारी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ऐसे मामलों में उचित आदेश पारित करना न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य भी है ताकि ऐसे गैरकानूनी कृत्यों को दोहराया न जा सके और ऐसे अन्यायपूर्ण कृत्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सबक के रूप में काम किया जा सके।

माननीय उच्चतम न्यायालय और 1996 के नियमों के सुसंगत दृष्टिकोण को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता जैसे किसी कर्मचारी के पुनः परीक्षण के बकाया को रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि दस्तावेज़ किसी भी अन्य विभाग को प्राप्त नहीं हुए थे। प्रत्यर्थीगण को यह आश्रय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि याचिकाकर्ता की आवश्यक फ़ाइल और कागज न भेजने में किसी प्राधिकारी द्वारा देरी हुई थी, प्रत्यर्थी/प्राधिकरण की ओर से ऐसी कार्रवाई निराधार और वस्तुतः मनमानी, अवैध और कानून के विपरीत है।

यहां ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, प्रत्यर्थीगण को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर मृत याचिकाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों को सभी सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने के निर्देश के साथ तत्काल याचिका की अनुमति दी जाती है। इस आदेश पर मृतक याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तारीख से उसके वास्तविक भुगतान तक 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा।

चूंकि, याचिकाकर्ता और उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा को पेंशन और सेवानिवृत्ति बकाया के वैध दावे के लिए न्यायालय में घसीटा गया है, इसलिए पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, यह न्यायालय प्रत्यर्थीगण पर 50,000/- रुपये (पचास हज़ार रुपये) का जुर्माना लगाता है, जो इस न्यायालय के निर्देशानुसार सेवानिवृत्ति बकाया के भुगतान के समय मृत कर्मचारी की विधवा को देय होगा।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मृतक याचिकाकर्ता की विधवा को लागत का भुगतान करने के बाद, प्रत्यर्थीगण को जांच के बाद नियमों के अनुसार दोषी अधिकारियों की जेब से इसकी वसूली करने की स्वतंत्रता होगी।

रोक आवेदन और अन्य आवेदन (लंबित, यदि कोई हो) का भी तदनुसार निपटान किया जाता है।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

MR/43

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।